(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

बिहार में रबी की फसल

*26. **श्री विभूति मिश्र :**
श्री क . ना तिवारी :
श्री राम किशन गुप्ता :
श्री मधु लिमये :

क्या खाद्य और कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष रबी की फसल मे कितना उत्पादन होने की आशा है;

(ख) बिहार मे आगामी सितम्बर तक खाद्यान्न की कितनी कमी रहने की संभावना है;

(ग) क्या बिहार की नई सरकार ने और अधिक खाद्यान्न के लिये केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की है, और

(घ) यदि हा, तो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार का रुख क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहब शिन्दे) : (क) और (ख). इस वर्ष रबी की पैदावार अपर्याप्त वर्षा होने के कारण कम होने की आशा है। तथापि, इस समय पैदावार का कोई विश्वसनीय अनुमान लगाना कठिन है । परिणामतः, यह बताना सम्भव नही है कि आगामी सितम्बर तक राज्य में खाद्य की कितनी प्रत्याशित कमी होगी ।

(ग) जी, हा ।

(घ) रुख सहानुभूति पूर्ण है और जहा तक सम्भव होगा भारत सरकार के पास उपलब्ध खाद्यान्नों के अनुसार माग पूरी की जाएगी ।

Supreme Court Judgment on Fundamental Rights

*27. **Shri Seshiyan:**
Shri Yashpal Singh:
Shri Nath Pai:
Shri S. Supakar:

Will the Minister of Law be pleased to state:

(a) whether the attention of Government has been drawn to the Supreme Court Judgment on the Constitution (17th Amendment) Act, 1964 dealing with Fundamental Rights;

(b) whether Government have made an assessment of the implications arising out of this judgment; and

(c) if so, the reaction of Government thereto?

The Minister of Law (Shri Govinda Menon): (a) Yes.

(b) and (c). The effect and the implications of the Supreme Court Judgment are under active consideration of Government.

Uniform Code of Marriage Laws

*28. **Shri Karni Singh:**
Shri D. C. Sharma:

Will the Minister of Law be pleased to state:

(a) whether Government are considering the desirability of enacting uniform code of marriage laws applicable to all citizens of India;

(b) if so, when such a Bill will be introduced in Parliament; and

(c) if not, the reasons therefor?

The Minister of Law (Shri Govinda Menon): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) The main reason is that there is no uniformity of views among the different sections of the citizens of India as to the enactment of a uniform code of marriage laws applicable to all citizens of India. In the second place, so far as the marriage laws of the minority communities are concerned, it is considered that any move for a change therein should

come from the concerned communities themselves. In the next place, so far as the Muslim citizens are concerned, most of them consider any interference with their marriage law, which is a part of the Shariat, as an interference with Islam And lastly, the Special Marriage Act, 1954 may be regarded as a common civil code relating to marriage. Although this is only an enabling statute, not on y the citizens of India irrespective of their faith and religion but even other persons can solemnise their marriages in accordance with and under the provisions of that Act

Delhi Milk Scheme

*29. **Shri C C. Desai:** Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state

(a) whether there has been any improvement in the milk supply position of the Delhi Milk Scheme,

(b) if so, the details thereof, and

(c) how far it has succeeded in meeting the requirements of the people?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde): (a) Yes, Sir.

(b) A statement showing monthwise figures of procurement ever since the Delhi Milk Scheme started is placed on the Table of the House. *Placed in Library See* No LT-37/67]

(c) 4 25 lakh bottles of milk are daily sold

जम्मू तथा काश्मीर में नामांकन पत्रों का रद्द किया जाना

*30 श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काश्मीर में हाल के आम नामांकन पत्रों के गैर-कानूनी रूप से रद्द किये जाने तथा जाली मतपत्रों आदि के बारे में सरकार को शिकायतें मिली हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उपर्युक्त राज्य में चुनावों में किसी दल विशेष का कार्य करने के लिए सरकारी कर्मचारियो का उपयोग किया गया था ;

(ग) यदि हा, तो क्या इस सम्बन्ध में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए इस राज्य मे नये चुनाव कराने अथवा राष्ट्रपति का शासन लागू करने के बारे मे सरकार को कोई सुझाव मिले हैं ; और

(घ) इस सम्बध मे सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) निर्वाचन आयोग को अनेक शिकायतें प्राप्त हुई है जिनमे नामनिर्देशन पत्रो के अवैध प्रतिक्षेपण, प्रतिरूप मत-पत्रो के मुद्रण और वितरण, पदधारियो द्वारा कतिपय अभ्यार्थियो के पक्ष मे अनुचित हस्तक्षेप आदि सम्बन्धी अभिकथन है

(ख) सरकार को कोई जानकारी नही है ;

(ग) निर्वाचन आयोग को इस सम्बन्ध मे कुछ सुझाव प्राप्त हुए हैं , और

(घ) सरकार उन निर्वाचन अर्जियो पर विनिश्चयो की प्रतीक्षा कर रही है जो कि फाइल कर दी गई है या एतत्पश्चात फाइल की जाए ।

Inter-State Transport Commission

*31 **Shri N. C. Chatterjee:**
Shri S. C. Samanta:
Shri P. K. Ghosh:

Will the Minister of Transport and Shipping be pleased to state.

(a) the difficulties experienced by the Inter-State Transport Commission in its functioning;

(b) the suggestions made by the Road Transport Taxation Enquiry